B.A. LL.B VI SEMESTER

MOOD COURT

Unit-4

Topic:- Writ petitions and Writ jurisdiction

DR.TRIPTI SHARMA

INSTITUTE OF LAW

98272-26254

DATE: 13-04-2020

अध्याय 6

रिट याचिका एवं उसका प्रारूप

I. रिट याचिका का प्रारूप
II. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
III. रिटें (Writs)
   1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण
   2. परमादेश
   3. अधिकार पृच्छा
   4. उत्प्रेषण
   5. प्रतिषेध

I. रिट याचिका का प्रारूप

रिट-याचिका को तैयार करना एक कला है और इसका ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। परन्तु रिट याचिका तैयार करने के पूर्व उच्चतम और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता और रिट जारी करने की शर्तों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उच्च और उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकार के विस्तार एवं रिट जारी करने की शर्तों का वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

रिट याचिका तैयार करने और प्रस्तुत करने के पूर्व इस बात का निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सी रिट जारी करने की प्रार्थना करती है। जिस न्यायालय में रिट की याचिका प्रस्तुत करनी है उस न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है। अतः उन नियमों का स्पष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है। रिट याचिका के साथ उस आदेश को भी इसके साथ संलग्न करना चाहिए। रिट याचिका के समर्थन में सत्यापन और शपथपत्र भी देना चाहिए। संक्षेप में न्यायालय द्वारा विनिमय बनाकर विहित समस्त शर्तों की पूर्ति करनी आवश्यक है। रिट याचिका के साधारणतः निम्नलिखित भाग होते हैं।

1. न्यायालय का नाम

जिस न्यायालय में रिट-याचिका प्रस्तुत की जानी है उसका नाम लिखा जाना आवश्यक है। जैसे यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जानी है तो न्यायालय का नाम इस प्रकार लिखा जाना चाहिए—

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

2. याचिका की संख्या और वर्ष

न्यायालय के नाम के ठीक नीचे याचिका की संख्या और वर्ष का उल्लेख किया जाता है। जैसे रिट याचिका नं० ---- सन् 2001 न्यायालय के अधिकारियों द्वारा भरे जाने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है।

3. पक्षकारों के नाम

पक्षकारों का नाम और उनका पूर्ण देना चाहिए जैसे विजय आत्मज अजय आयु 40 वर्ष निवासी मकान नं० 10 रामपुरा, इलाहाबाद-याची बनाम उत्तर प्रदेश राज्य—प्रत्यर्थी

4. सुसंगत अनुच्छेद का उल्लेख

पक्षकारों के नाम के बाद कुछ शब्दों को लिखकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि संविधान के किसी अनुच्छेद के अन्तर्गत रिट याचिका प्रस्तुत की जा रही है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका अथवा संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत रिट-याचिका।

5. याचिका निकाय

याचिका के निकाय को अत्यंत सावधानी के साथ तैयार करना चाहिए। तथ्यों का उचित रूप से उल्लेख होना चाहिए। इसका प्रारम्भ इस प्रकार हो सकता है—उपर नामांकित याची निम्नलिखित सविनय निवेदन करता है।

इस भाग को लिखने में रिट जारी करने की शर्तों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। याचिका इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि इसे जारी करने की शर्तों का पालन हो जाय। जैसे परमादेश रिट जारी कराने के लिए प्रस्तुत याचिका को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए जिससे प्रकट हो कि प्रत्यर्थी का लोक कर्तव्य पालन का आज्ञापक कर्तव्य है और पालन की मांग करने पर उसने इसका पालन करने से इन्कार कर दिया है और याची को इस बात का विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्यर्थी को उक्त कर्तव्य के पालन के लिए विवश कर सके।

इसी प्रकार अधिकार-पृच्छा रिट जारी करने के लिए तैयार की जानी वाली याचिका यह इंगित करनी चाहिए कि प्रश्नगत पद सारवान प्रकृति का लोकपद है और यह प्रत्यर्थी द्वारा बिना विधिक प्राधिकारी के धारण किया गया है।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि इससे स्पष्ट हो जाय कि निरोध प्रथम दृष्ट्या अवैध हो और याचिका की सुनवाई के समय निरोध विद्यमान है। रिट के जारी करने के आधार का उल्लेख होना चाहिए। जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कराने के लिए तैयार की गई याचिका में जिस आधार पर निरोध को अवैध ठहराया जाना है उसका उल्लेख होना चाहिए।

यदि याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है तो विलम्ब के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। याचिका तैयार करने में तात्विक तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए और मिथ्यानिरूपण भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा किया गया पाया जाता है तो न्यायालय किसी भी अवस्था में याचिका को खारिज कर सकता है।

6. प्रार्थना

याचिका विशिष्ट रिट, आदेश या निदेश जारी करने की स्पष्ट प्रार्थना होनी चाहिए जैसे याची प्रार्थना करता है कि—

(1) एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट प्रत्यर्थी को जारी करके निदेश दिया जाय कि याची को तुरन्त रिहा कर दे और

(2) याचिका का व्यय दिलवाने का भी निदेश दिया।

7. हस्ताक्षर

याचिका पर याची और उसके अधिवक्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए? हस्ताक्षर किए जाने की तिथि और स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए।

8. शपथपत्र और सत्यापन

शपथपत्र में उसी न्यायालय और पक्षकारों का नाम होता है जो कि याचिका में है। शपथपत्र में याची शपथ पर कथन करता है कि वह याचिका के तथ्यों से भिज्ञ है और यह भी कथन करता है कि कौन सा पैराग्राफ उसकी निजी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कौन सा पैराग्राफ प्राप्त सलाह में विश्वास के आधार सत्य समझता है तो सूचना के स्रोत का भी उल्लेख करना चाहिए। यह भी कथन करना चाहिए कि कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है और याचिका का कोई भी भाग असत्य नहीं है। इसीलिए ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथपत्र शपथकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और हस्ताक्षर करने की तिथि और स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए।

शपथपत्र का शपथकर्ता द्वारा सत्यापन होना चाहिए। यदि शपथपत्र की अन्तर्वस्तुएँ शपथकर्ता के निजी जानकारी पर आधारित हैं तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। परन्तु यदि शपथकर्ता को अन्तर्वस्तुएँ उसके निजी जानकारी पर आधारित नहीं है बल्कि प्राप्त सूचना के आधार पर सत्य होने का वह विश्वास करता है तो उसे सूचना के स्रोत को प्रकट करना चाहिए। सत्यापन में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है और कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। सत्यापन पर शपथकर्ता को हस्ताक्षर अधिवक्ता की उपस्थिति में करना चाहिए। अधिवक्ता कतिपय शब्दों को लिखकर यह स्पष्ट कर देता है कि वह शपथकर्ता को पहचानता है और उसने उसके समक्ष हस्ताक्षर किया है। यह लिखकर अधिवक्ता हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने की तिथि और स्थान भी लिखा जाता है। इसके पश्चात् शपथ कमिश्नर हस्ताक्षर करता है।

9. परिशिष्ट (Annexure)

रिट याचिका के साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करना चाहिए।

उदाहरण

बन्दी प्रत्यक्षी करण रिट के लिए याचिका

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका सं० —सन् 2001

अजय कुमार आत्मज चन्द्र कुमार आयु 35 वर्ष
निवासी मकान नं० 101 राम पुर, इलाहाबाद — याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. अधीक्षक कारागार नैनी, इलाहाबाद
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद

—प्रत्यर्थीगण

रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारत का संविधान,
ऊपर नामांकित याची आदरपूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है—

(1) यह कि याची विलियम कं०, इलाहाबाद में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर नियुक्त है

(2) यह कि 12-1-2001 को शाम के लगभग 7 बजे रामपुर, इलाहाबाद थाने का पुलिस इन्सपेक्टर उसके निवास स्थान पर आया और उसे थाने ले गया और बिना कारण बताए उसे थाने की हवालात में बन्दी बना कर रखा।

(3) यह कि 13-1-2001 को प्रातः लगभग 10 बजे याची को नैनी कारावास में रखा गया और इस समय वह उसी कारावास में बन्दी के रूप में निरुद्ध किया गया है।

(4) यह कि याची ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को कारण बताने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु अब तक उसे कारण नहीं बताया गया है।

(5) यह कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि इस याचिका के साथ परिशिष्ट 1 में संलग्न है।

(6) यह कि याची की गिरफ्तारी निम्नलिखित आधार पर अवैध है और भारत के संविधान के उपबन्धों के उल्लंघन में है—

(i) क्योंकि याची आधार को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ii) क्योंकि याची को बिना कारण गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कारण बताने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के उपरांत भी कारण नहीं बताया गया।

(iii) क्योंकि याची को गिरफ्तारी के 24 घंटे के उपरांत भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना

अतः याची आदरपूर्वक प्रार्थना करता है कि एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश प्रत्यर्थीगण को याची को तत्काल रिहा करने के लिए जारी करे।

दिनांक- 14-1-2001 ह० याची
स्थान-इलाहाबाद अजय कुमार
दिनांक-14-1-2001 ह० अधिवक्ता
स्थान-इलाहाबाद राजकुमार

शपथपत्र

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद याचिका नं० . . . . . सन् 2001

अजय कुमार आत्मज चन्द्र कुमार आयु 35 वर्ष
निवासी मकान नं० 101 रामपुर इलाहाबाद —याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. अधीक्षक कारागार नैनी, इलाहाबाद
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद —प्रत्यर्थीगण

याचिका अनुच्छेद 226,
भारत का संविधान

मैं, अजय कुमार आत्मज चन्द्र कुमार आयु 35 वर्ष निवासी मकान नं० 101 रामपुर, इलाहाबाद सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ—

(1) यह कि ऊपर कथित याचिका में शपथकर्ता याची है।

(2) यह कि रिट याचिका में उल्लिखित तथ्यों से शपथकर्ता पूर्णतः भिज्ञ है।

(3) यह कि संलग्न रिट-याचिका को पैराग्राफ (1) से (5) की अन्तर्वस्तुएँ को मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ, और पैराग्राफ (6) की अन्तर्वस्तुएँ अधिवक्ता से प्राप्त विधिक सलाह के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

(4) यह कि कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है और इस याचिका का कोई भी भाग असत्य नहीं है। इसलिए ईश्वर मेरी मदद करे।

(5) यह कि रिट याचिका के साथ संलग्न परिशिष्ट का शपथकर्ता ने मूल के साथ मिलान कर लिया है और प्रमाणित करता है कि यह उसकी सत्य प्रतिलिपि है।

ह० शपथकर्ता
अजय कुमार

दिनांक-14-1-2001
स्थान-इलाहाबाद

सत्यापन

मैं, अजय कुमाम आत्मज चन्द्र कुमार ऊपर नामांकित शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि इस शपथपत्र के पैराग्राफ (1) से (5) की अन्तर्वस्तुएँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सत्य हैं। इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसलिए ईश्वर मेरी मदद करे।

14-1-2001 को इलाहाबाद में सत्यापित एवं हस्ताक्षरित।

हा० शपथकर्ता
अजय कुमार

दिनांक-14-1-2001
स्थान-इलाहाबाद

मैं, राजकुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद यह घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र को देने वाला और अपने को सपथकर्ता कहने वाला और इस रूप में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एक ही है और मैं इसे पहचानता हूँ।

हा० अधिवक्ता
राजकुमार

दिनांक-14-1-2001
स्थान-इलाहाबाद

14 जनवरी 2001 को सुबह लगभग 10 बजे मेरे समक्ष शपथकर्त्ता, जो कि ऊपर नामांकित अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया है, ने सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

शपथकर्ता को परीक्षित करके मैंने अपने को संतुष्ट कर लिया है कि शपथकर्ता ने, शपथपत्र की अन्तर्वस्तुओं को जिसे मैंने शपथकर्ता को पढ़कर सुनाया और व्याख्या किया, समझ लिया है।

शपथ कमिश्नर
टी० पी० कुमार

दिनांक-14-1-2001
स्थान-इलाहाबाद